सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
इटावा–कोटा

(पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार घनघोर आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं.:–2025 / 52 दर्ज तिथिः 20.05.2025

बंशीलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति मीना, निवासी–डोरली, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज०
प्रार्थी

बनाम
श्रीमान तहसीलदार, साहब, तह० पीपल्दा जिला–कोटा राज०
अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री पृथ्वीराज वैष्णव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त मे ग्राम–प्रेमपुरा, पटवार हल्का–प्रेमपुरा, भू अभि० नि०–अयाना, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज० में ख0न0–28 रकबा 0.32 हेक्टे० भूमि स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त उपरोक्त वर्णित आराजी आस पास के काश्तकार आये दिन सीमा विवाद पैदा करते रहते है इस कारण उपरोक्त वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी तरमीम करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम प्रेमपुरा, पटवार हल्का–प्रेमपुरा,भू अभि० नि०–अयाना, तह०–पीपल्दा, जिला–कोटां, राज० में ख0न0–28 रकबा 0.32 हेक्टे० भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी व तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 02.07.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> **111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)** In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.
>
> (2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> **128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:**
>
> **Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.**

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से स्थायी ग्राम प्रेमपुरा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार पीपल्दा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम प्रेमपुरा अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 02.07.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार पीपल्दा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थी को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित

बंशीलाल बनाम राज0 सरकार
2025 / 52

निर्णय दिनांकः—30.01.2025

आराजी की खसरे की सीमाओं को पडोसी खातेदार द्वारा हटा दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111, 128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी ख0न0—28 रकबा 0.32 हेक्टे० ग्राम—प्रेमपुरा, पटवार हल्का—प्रेमपुरा, भू अभि० नि०—अयाना, तह०—पीपल्दा, जिला—कोटा, राज० तहसील पीपल्दा पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार पीपल्दा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि पडौसी खातेदारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ तहसीलदार पीपल्दा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

हेमन्त कुमार घनघोर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
इटावा—कोटा